(ई.) छत्तीसगढ अल्कोहल उतारी नियम, 1991 :–

(धारा 62(2),(ड़),(छ)और(ज))

1 यह नियम, छत्तीसगढ के आसवको द्वारा किण्वन तथा आसवन के द्वारा अल्कोहल उत्पादन की निश्चित मात्रा के लिए बने है ।

2 ये नियम राजपत्र मे प्रकाशित दिनांक 19/11/ 1991 से प्रभावी होगें ।

3 छत्तीसगढ के आसवक किण्वन तथा आसवन की ऐसी न्युनतम गुणकारिता की और अल्कोहल के उत्पादन हेतु उद्योग मे लाये गये शीरे से अल्कोहल की नियमो मे विहित की गई न्युनतम मात्रा प्राप्त करेगा ।

4 किण्वन तथा आसवन गुणकारिता और शीरे से अल्कोहल की न्युनतम प्राप्ति के अतंर्गत :–

(क) किण्वन गुणकारिता – शीरे मे किण्वन योग्य विद्यमान चीनी का 34 प्रतिशत,

(ख) आसवन गुणकारिता – घोल (वाश) मे विद्यमान अल्कोहल का 97 प्रतिशत,

(ग) एल्कोहल की न्युनतम – अलकोहल के उत्पादन हेतु उपभोग मे लाए गये शीरे मे विद्यमान

किण्वन योग्य चीनी का प्रति क्विंटल 52.5 क्विंटल लीटर या 91.8 प्रुफ लीटर।

5 विहित न्युनतम, गुणकारिता तथा अल्कोहल की प्राप्ति बनाए रखने मे असफल होने पर आसवक, यथा स्थिति, अनुज्ञप्ति के निलंबन या रदद किए जाने के लिए दायी होगा तथा उसकी प्रतिभूति राशि समपहत होने योग्य होगी ।

6 आबकारी आयुक्त उपयुक्त गुणकारिता मे कमी के प्रत्येक मामले मे दस हजार से अनधिक तथा अल्कोहल की प्राप्ति मे कमी के मामले मे प्रति प्रुफ लीटर 30 रूपए से अनधिक की शास्ति अनुज्ञप्ति के रददकरण के बदले तभी अधिरोपित कर सकेगा, जबकि आसवक द्वारा यह सिद्ध न कर दिया जाए कि चूक जानबूझकर नही कि गई थी तथा विहित गुणकारिता एवं प्राप्ति के लिये सम्यक् सावधानी बरती गयी थी ।

7 आसवनी का भारसाधक अधिकारी शीरा तैयारी के समय शीरे के तीन नमूने लेगा। समस्त नमूनो को भारसाधक अधिकारी द्वारा सीलबंद किया जाएगा । उसका एक भाग आबकारी आयुक्त के कार्यालय मे स्थित केन्द्रीय प्रयोगशाला को या शासन द्वारा अनुमोदित किसी प्रयोगशाला को भेजा जाएगा । दूसरा भाग आसवनी की प्रयोगशाला मे विश्लेषण हेतु एवं तीसरा भाग भारसाधक अधिकारी द्वारा स्वयं अपने पास रखा जावेगा ।

8 केन्द्रीय प्रयोगशला या शासन द्वारा अनुमोदित किसी प्रयोगशाला, जैसी भी स्थिति हो द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट के आधार पर आसवनी का भारसाधक अधिकारी उस अलकोहल की ऐसी न्युनतम मात्रा का परिकलन करेगा । जिसे विहित किए गए न्युनतम आधार पर आसवक द्वारा उत्पाादित की जाना चाहिए । विहित से कम प्राप्ति होने की दशा मे भारसाधक अधिकारी स्पष्टीकरण मांगेगा और उसे टिप्पणी सहित संभागीय उपायुक्त आबकारी को भेजेगा। उपायुक्त आवश्यक जांच करेगा और अपनी रिपोर्ट आबकारी आयुक्त को आदेश हेतु प्रस्तुत करेगा ।